न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 07/2019 (223 आर0टी0एक्ट0)
आर.सी.एम.एस. संख्या :– 2019/00040

उनवान

1. राजेन्द्र उर्फ रज्जो
2. संतोष
3. नरेश
4. पवन

पुत्रगण स्व0 बाबूलाल जाति वैश्य नि0 रायसीस हाल सिंधी कालौनी नदबई जिला भरतपुर।

5. विशम्भर
6. रमेश

पुत्रगण किरोडी कौम वैश्य नि0 रायसीस हाल निवासी सिंधी कालौनी कटना नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

7. सुरेश
8. महेश
9. दिनेश
10. मुकेश

पुत्रगण कन्हैया जाति वैश्य नि0 सिंधी कालौनी कटरा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. बृजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री जगन प्रसाद जाति वैश्य निवासी बुद्ध की हाट पुराने गंगा मंदिर के बगल में भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।
2. गणेश पुत्र दुर्गाप्रसाद
3. सोनिया पुत्री दुर्गाप्रसाद
4. मायादेवी पत्नि दुर्गाप्रसाद वैश्य निवासी बुद्ध की हाट पुराने गंगा मंदिर के बगल में भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।
5. कपूरचन्द
6. अशोक कुमार
7. पूरनचन्द

जाति वैश्य निवासी पुराने गंगा मंदिर की बगल में बुद्ध की हाट भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।

8. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार नदबई।
9. सब रजिस्ट्रार नदबई।
10. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर नदबई जरिये शाखा प्रबन्धक नदबई जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 04.07.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नदबई प्रकरण संख्या 68/2011 उनवानी बृजेन्द्र प्रसाद बनाम राजेन्द्र उर्फ रज्जो वगै0।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभिभाषकगण :–

1. अभिभाषक अपीलाण्ट श्री हनुमान प्रसाद गोयल उपस्थित ।
2. अभिभाषक रैस्पो0 श्री दिनेश शर्मा उपस्थित ।

निर्णय दिनांक :–03.05.2019

1. यह अपील इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 223 के तहत, उपखण्ड अधिकारी, नदबई के निर्णय दिनांक 04.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। संक्षेप में

तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0/वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम स्थित ग्राम रायसीस तहसील नदबई, वादी/रैस्पो0 एवं प्रतिवादी/अपीलाण्ट की सहखातेदारी की आराजी है जिस पर सभी अपने अपने हिस्सेनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रतिवादी/अपीलाण्ट संख्या 07 लगायत 10 के पिता कन्हैयालाल ने पटवारी होने का फायदा उठाते हुये, राजस्व कर्मचारियों से साज कर संवत 2019 में वादी/रैस्पो0 के बाबा कुंजी के हिस्से की आराजी को कुंजी के वारिसान के नाम अंकित नहीं होने दिया। इस प्रकार कुंजी की आराजी के अंकन प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट के नाम अंकित हो गये। अतः वादी/रैस्पो0 अपने हिस्सेनुसार खातेदारी हक घोषित कराने के अधिकारी हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून होने के कारण काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 जो मुख्य तनकी थी को अपीलाण्ट एवं रैस्पो0 द्वारा दस्तावेजी व जवानी साक्ष्य की विवेचना नहीं की गयी है बल्कि अपनी ओर से केस बनाकर मुन्नालाल की विरासत से साविक रिकार्ड से प्राप्त होना बताया है। जबकि दावा में वादी रैस्पो0 संख्या 01 ने कही पर भी आराजी विवादित को श्री मुन्नालाल की विरासत से प्राप्त होना नहीं बताया है ना जाने किस आधार से न्यायालय तहत ने विवादित आराजी को श्री मुन्नालाल की विरासत से वादी बृजेन्द्र प्रसाद व तरतीवी प्रतिवादी दुर्गाप्रसाद के वारिसान को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया। जबकि कुंजीलाल ना तो आराजी के काश्तकार थे और ना ही मालिक थे और ना ही आराजी पर काबिज थे। विवादित आराजी, अपीलाण्ट के पूर्वज गिर्राज ने नीलामी में क्रय की थी जिस पर संवत 2001 लगायत 2007 तक राजस्व अभिलेख में विवादित समस्त आराजी पर स्व0 गिर्राज के नाम मिल्कीयत व काश्तकारी के इन्द्राज चले आ रहे हैं इस प्रकार विवादित आराजी केवल अपीलाण्ट के पूर्वज गिर्राज की कब्जे काश्त व खातेदारी की स्वः अर्जित सम्पत्ति है। जमाबन्दी संवत 2011 से 14 व 2015 से 19 में मिल्कीयत के खाने में अपीलाण्ट के उक्त पूर्वज कन्हैया व किरोडी के साथ गलती से तीन अन्य हिस्सेदार जावित्री, कुंजीलाल व सूरजमल का नाम कतई गलत दर्ज हो गया है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि सूरजमल का देहांत सन् 1975 संवत 2032 में हुआ था और श्री कुंजीलाल के वारिस रामजीलाल का संवत 2023 सन् 1966 व जगन का संवत 2031 सन् 1974 में हुआ इस प्रकार श्री सूरजमल की मृत्यु संवत 2032 सन् 1975 में रामजीलाल व जगन की जो कि कुंजीलाल के भाई के लडको श्री श्रेणी में आते है सन् 1975 में मृत्यु होने के कारण कोई अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नहीं बनते हैं जबकि गिर्राज प्रसाद के पुत्रान किरोडी व कन्हैया संवत 2032 सन् 1975 में जीवित थे और किरोडी की मृत्यु सन् 1996 में व कन्हैया की मृत्यु सन् 2009 में हुई है जो कि भाई के लडको की श्रेणी में आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों पर ध्यान दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो काबिले खारिजी है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर एआईआर पेज 2966 का हवाला देते हुये,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि रैस्पो0 संख्या 01 बृजेन्द्र प्रसाद व तरतीवी रैस्पो ने अपीलाण्ट के विरूद्ध द्वारा अंतर्गत धारा 88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश करते हुये वादी रैस्पो0 संख्या 01 बृजेन्द्र प्रसाद ने अपना व तरतीवी रैस्पो0 दुर्गाप्रसाद के वारिसान गणेश, सोनिया, माया देवी व शिवचरन के वारिसान कपूरचन्द, अशोक कुमार व पूरनचन्द का 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित कराने बाबत् अनुतोष चाहा गया था क्योंकि रैस्पो0 के बाबा कुंजीलाल विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के पूर्व से ही 1/2 हिस्सा के सह मालिक संवत 2015 से 2018 तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहें हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 एक का निर्णय वादी रैस्पो0 की साक्ष्य व रिकार्ड के अवलोकन के आधार पर सही मानते हुये रैस्पो0 के हक में निर्णित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सजरा एवं अपीलाण्ट के जवाब दावे में स्वीकारोक्ति के आधार पर यह सही माना है कि मुन्नालाल के तीन पुत्र कुंजीलाल, गिर्राज प्रसाद व सूरजमल थे इस बात को अपीलाण्ट ने जवाव दावा में स्वीकार भी किया है। रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में यह कही भी अंकित नहीं किया है कि आराजी मुतनाजा उन्हें अपने पिता मुन्नालाल से विरासत में प्राप्त हुई है बल्कि उनका कथन रहा है कि आराजी मुतनाजा के रैस्पो0 व अपीलाण्ट के पूर्वज कुंजीलाल, गिर्राजप्रसाद व सूरजमल को– मालिक थे तथा तीनों भाई विवादित आराजी मुतनाजा पर संयुक्त रूप से काश्त करते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान आराजी मुतनाजा पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। सूरजमल लाबल्द विला औरत संवत 2032 में फौत हो गये तथा कुंजीलाल के पुत्र जगन प्रसाद की मृत्यु संवत 2033 में हुई थी। अपीलाण्ट ने जगन प्रसाद की मृत्यु संवत 2031 सन् 1974 में होना कतई गलत अंकित किया है जबकि सोरो क पण्डा की वही में स्पष्ट अंकित किया है कि जगन प्रसाद जी की मृत्यु संवत 2033 में हुई है इस प्रकार सूरजमल की मृत्यु के बाद उनके हिस्से 1/3 पर कुंजीलाल के वारिसान व गिर्राज प्रसाद के वारिसान वहिस्सा बराबर काबिज हुये। रैस्पो0 विवादित आराजी पर संवत 2005 से पूर्व से ही कुंजीलाल सहमालिक रिकार्ड में दर्ज है तथा संवत 2015 की जमाबन्दी में कुंजी लाल की खुदकाश्त भी दर्ज रिकार्ड है तो फिर अचानक अपीलाण्ट का नाम कैसे आ गये इस बात को अपीलाण्ट ने अपने जवाव दावा व मौखिक साक्ष्य में कहीं भी अंकित नहीं किया है। अपने तर्को के समर्थन में राजस्थान जमींदारी एवं विस्वेदारी अधिनियम धारा 29आरआरडी 1984 पेज 42 व 565, 1988 पेज 420, आरबीजे 2017 पेज 180, 2010 पेज 626, 2011 पेज 287 का हवाला देते हुये, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. सर्वप्रथम अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दोनों प्रार्थना पत्र 41 नियम 27 सीपीसी पर विचार किया जाना अपेक्षित है। अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र के साथ सोरो व पंडित की वही की फोटो प्रति पेश की हैं जो सादा कागज पर तैयार किये गये हैं। उक्त दस्तावेज किस अभिलेख से तैयार किये गये हैं एवं मूल अभिलेख किसके द्वारा कब तैयार किया, स्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत कथित दस्तावेज, प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं हैं। अप्रमाणिक स्त्रोत से तैयार कथित दस्तावेजों को हम रिकार्ड पर लेना उचित नहीं समझते हैं। जहॉ तक प्रार्थना पत्र के संलग्न राजस्व अभिलेख, जमाबन्दी संवत 2020 व 2023 व खसरा गिरदावरी 2014 लगायत 2027 आदि का प्रश्न है विवादित आराजी मुतनाजा संवत 2015 व 2018 में रैस्पो0 के पूर्व कुंजीलाल, सूरजमल व जावित्री वेवा घसीडा की मिल्कीयत में रही है अतः जो जमाबन्दी अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी है वह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलाण्ट के खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतु पर्याप्त दस्तावेज नहीं है। अतः अपीलाण्ट के दोनों प्रार्थना पत्र 41 नियम 27 खारिज योग्य रहते हैं।

6. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु छः तनकियॉ निर्धारित की हैं। इनमें तनकी संख्या एक वादी के वाद को साबित करने हेतु महत्वपूर्ण तनकी है। तनकीवार विवेचना निम्न प्रकार है :–

7. <u>तनकी संख्या 01</u> **"आया वादीगण तरतीवी प्रतिवादीगण के साथ निस्फ हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं तथा वयनामा तारीख 20.07.2009 वादी व तरतीवी प्रतिवादी 14 लगायत 19 के अधिकार तक नल एण्ड वोईड घोषित किया जावें"** पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख, जमाबन्दी संवत 2011, 2015, 2018, 2019 वंशावली संवत 2015 आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि अपीलाण्ट व रैस्पो0 की सहखातेदारी में दर्ज रही है एवं संवत 2015 की जमाबन्दी में कुंजीलाल की खुदकाश्त भी दर्ज है। अपीलाण्ट कभी विवादित आराजी को अपने पूर्वज गिर्राज द्वारा नीलामी में क्रय करना एवं कभी पट्टे पर प्राप्त होना बताते हैं। इस प्रकार अपीलाण्ट के कथन विरोधाभासी हैं। तर्क के लिये विवादित भूमि का अपीलाण्ट के पूर्वज को पट्टे पर या नीलामी में क्रय करना माना भी जावें, तो भी अपीलाण्ट द्वारा अपने तर्को के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये हैं। बिना दस्तावेजी साक्ष्य अपीलाण्ट के मौखिक कथन सारपूर्ण नहीं है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपने जवाब दावा एवं बयान से बाहर नही जा सकता। जवाब दावे में अपीलाण्ट ने वादी के वाद एवं सजरा को स्वीकार किया है। इस प्रकार यह स्वीकारोक्ति एडमिशन की तारीफ में आती है जिसे कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसी सूरत में अन्य कोई प्रलेखीय साक्ष्य रैस्पो0/वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसके अलावा रैस्पो0 के पूर्वज विवादित आराजी मुतनाजा पर संवत 2015 व 2018 तक सहमालिक कुंजीलाल अंकित रहे हैं फिर अचानक अपीलाण्ट का नाम कैसे आ गये इस तथ्य बाबत् अपीलाण्ट अपने जवाब दावा व मौखिक साक्ष्य में मौन रहे हैं। अतः अपीलाण्ट का राजस्व कर्मचारियों से जाल साज कर विवादित आराजी बाबत् अंकन अकेले अपने नाम दर्ज करवाये जाने की आंशका से इंकार नहीं किया जा सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट जाहिर होता है कि रैस्पो0 के पिता व बाबा कुंजीलाल विवादित आराजी में सहमालिक दर्ज रहे हैं। इस आधार पर रैस्पो0 विवादित आराजी पर 1/2 हिस्से के सहखातेदार काश्तकार होते हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का भलीभॉत अध्ययन करते हुये, तनकी वहक वादी/रैस्पो0 तय की हैं। जिसमें हम हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं।

8. <u>तनकी संख्या 02</u> **"आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है"** अधीनस्थ न्यायालय के इस तनकी बाबत् निष्कर्ष में हमे कोई त्रुटि नजर नहीं आती है।

9. <u>तनकी संख्या 03</u> **" आया वाद में आवश्यक पक्षकारो को पक्षकार नहीं बनाने से दावा वादी नान् जोईण्डर आफ पार्टीज के अभाव में काबिल खारिजी है"** इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट पर था। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में, तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की है। जिसमें हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

10. <u>तनकी संख्या 04</u> **" आया वादी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानो के अनुसार सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करते, दावा मैन्टनेबिल नहीं है"** तनकी संख्या 01 की विवेचनानुसार जब प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने जवाब दावा में सजरा को स्वीकार कर लिया है, तो रैस्पो0 को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र सक्षम न्यायालय से लाने की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कोई आवश्यकता शेष नहीं रहती है। अतः इस तनकी बाबत् भी अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष उचित ही हैं।

11. **तनकी संख्या 05 "आया खसरा नम्बर 487 रकवा 0.17 को पट्टे से प्राप्त किया है तथा वयनामा 20.07.2009 को तब तक सिविल न्यायालय से कैन्सिल नहीं कराते तब तक दावा काबिल खारिजी के है"** उक्त खसरा नम्बर वादी/रैस्पो0 द्वारा दावे से तर्क करा लिया है। अतः तनकी की विवेचना प्रासंगिक नहीं है।

12. **तनकी संख्या 06 "आया वादी का कोई कब्जा नहीं है अतः दावा वादी मियाद बाहर होने से काबिल खारिजी है"** अधीनस्थ न्यायालय के इस तनकी बाबत् निष्कर्ष में हमे कोई त्रुटि नजर नहीं आती है।

13. **अनुतोष** – समस्त तनकियात का निस्तारण किया जा चुका है। अपीलाण्ट अपने जिम्मे की किसी भी तनकी को सिद्ध करने में सफल नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तनकियों को तय करते समय, प्रत्येक तनकी पर कारण सहित उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर, अपना निष्कर्ष अंकित करते हुए, अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसे हम किसी प्रकार विधि की मंशा के विपरीत नहीं पाते हैं। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय तनकीवार तार्किक है। अतः हम अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज योग्य पाते हैं।

14. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई के आदेश दिनांक 04.07.2016 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

15. निर्णय आज दिनांक 03.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official